प्रेस नोट दिनांक- 17.11.23

एक्शन मोड में चन्दौली पुलिस, संगठित/पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध लगातार कहर बरसा रही पुलिस।

लूट, डकैती जैसे जघन्य अपराध कारित करने वालो पर कहर बनकर टूट रही खाकी, शातिर लूटेरे को पुलिस मुठभेड़ में दबोचा ।

राइस मिल मालिक के यहाँ उनकी पत्नी से 42000/ रुपये लूटपाट करने वाला बदमाश शाहिल यादव को पुलिस ने एनकाउंटर में किया गिरफ्तार ।

मुठभेड के दौरान अभियुक्त शाहिल हुआ घायल, अभियुक्त शाहिल के विरूद्ध जनपद वाराणसी व जनपद चन्दौली में दर्ज है कई मुकदमें ।

घूम- घूमकर लूट व छिनौती की घटना कारित कर प्राप्त रुपयों से अपना जीवन यापन करता था अभियुक्त ।

चन्दौली । दिनांक 01.11.23 समय करीब 12.15 बजे ग्राम सोनहुला स्थित राइस मिल मालिक के यहां उनकी पत्नी श्रीमती गीता देवी से उनके पास रखे 42000 रुपये की लूट कारित किया गया था। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 236/23 धारा 392/34/120बी/411 भादवि0 थाना बलुआ जनपद चन्दौली पंजीकृत किया गया था । जिसमें दो नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शाहिल यादव पुत्र रामाश्रय यादव निवासी लखरांव थाना चौबेपुर जिला वाराणसी की तलाश जारी था । अभियुक्त अपने रिश्तेदार व वकील से मिलकर वापिस जा रहा था। पुलिस की चेकिंग देख अभियुक्त मोटरसाइकिल को न रोककर खतरनाक तरीके से भागने लगा।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली डा0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध अंकुश लगाने के क्रम में दिये गये निर्देश में व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक सदर महोदय श्री विनय कुमार सिंह तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी सकलडीहा श्री राजेश राय के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक बलुआ विनोद कुमार मिश्रा मय पुलिस बल के टेढ़ी पुलिया पर व उ0नि0 अभिषेक शुक्ला मय पुलिस बल के बलुआ गंगा नदी पुल पर मौजूद होकर संदिग्ध व्यक्तियों/वाहन/वस्तुओं की चेकिंग कर रहे थे । प्र0नि0 विनोद कुमार मिश्रा द्वारा टेढ़ी पुलिया पर चेकिंग के दौरान समय करीब 21.00 बजे प्लेटिना मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति को रूकने का इशारा किया गया कि वह व्यक्ति मोटरसाइकिल ना रोककर खतरनाक व संदेहास्पद तरीके से भागने लगा कि संदेह होने पर प्रभारी निरीक्षक बलुआ द्वारा जरिये दूरभाष से उ0नि0 अभिषेक शुक्ला को बताया गया कि एक संदिग्ध व्यक्ति प्लेटिना मोटर साइकिल पर बलुआ गंगा नदी पुल की तरफ जा रहा है। इस पर उ0नि0 अभिषेक शुक्ला मय पुलिस बल के बलुआ गंगा नदी पुल पर संदिग्ध प्लेटिना मोटर साइकिल सवार को घेरकर रोकने की कोशिश किये तथा प्रभारी निरीक्षक बलुआ पीछे से घेरने लगे कि उक्त मोटर साइकिल सवार अपने आप को पुलिस बल से घिरता देखकर बलुआ गंगा नदी पुल से पहले सड़क से नीचे गाड़ी उतारकर भागने लगा उ0नि0 अभिषेक शुक्ला द्वारा उक्त संदिग्ध को पकड़ने की कोशिश की गयी । उक्त संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति

पुलिस टीम पर फायर किया। जिससे कि उ0नि0 अभिषेक शुक्ला के पहने बुलेट प्रूफ (बी0पी0) जैकेट को गोली छूते हुए निकल गयी। पुलिस टीम के जवाबी फायर में अभियुक्त के बाएँ पैर में गोली लगी। जिससे अभियुक्त वहीं पर गिर गया। अभियुक्त से कुछ दूरी पर एक तमंचा व मोटर साइकिल गिरी हुई मिली। गिरे हुए व्यक्ति की तलाशी लिया गया तो उसके पहने जिन्स के बाएँ जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस व 3440 रूपया बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त को मौके से पीएचसी चहनिया प्राथमिक उपचार हेतु भेजा गया।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तः-

1. मु0अ0सं0 236/23 धारा 392/34/120बी/411 भादवि0 थाना बलुआ जनपद चन्दौली
2. मु0अ0सं0 365/23 धारा 393/323/504 भादवि थाना चौबेपुर जनद वाराणसी
3. मु0अ0सं0 421/23 धारा 504/506 भादवि0 थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी
4. मु0अ0सं0 489/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी
5. मु0अ0सं0 511/23 धारा 323/504 भादवि थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी
6. मु0अ0सं0- 241/23 के धारा 307 भादवि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट

घटनास्थल- बलुआ गंगा नदी पुल से कुछ दूर पहले वहद ग्राम सराय थाना बलुआ जनपद चन्दौली
समयः- 21.05 बजे से 21.25 बजे तक दिनांक- 16.11.2023

बरामदगी का विवरणः-

1. एक अदद मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना
2. एक अदद नाजायज तमंचा
3. एक अदद जिन्दा कारतूस

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. प्र0नि0 विनोद कुमार मिश्र थाना बलुआ जनपद चन्दौली
2. उ0नि0 अभिषेक शुक्ला चौकी प्रभारी मारुफपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली
3. उ0नि0 अवध बिहारी यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली
4. हे0का0 चन्द्र प्रताप सिंह थाना बलुआ जनपद चन्दौली
5. का0 अरविन्द सिंह यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली
6. का0 अजय कुमार वर्मा थाना बलुआ जनपद चन्दौली
7. का0 रंजीत यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली
8. का0 विशाल यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली